

## आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ४ (५६९) आकाशि / नि.स. / २०१२ / २१२८

दिनांक:- १०|०४|२०१८

आटेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अवगादपी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय/ विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जास्ती है—

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय / दिप्ति
प्रिन्स कॉलेज, ग्राम पालवास, वायाटाटचवां, तह, घोट, जिला-सीकर।	फ़डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों सहित- कला संकाय-मूगोल, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अध्यात्मक विज्ञान संकाय- सांखिक शास्त्र, रसोयनशास्त्र, प्राणशास्त्र, सनस्यात्रशास्त्र, गणित।

1. संविधान विश्वविद्यालय एवं दी०सी।आइ०स ज्ञानद्रुता प्राप्त करने को दायित्व संघर्ष संस्था का होगा ।
  2. सर्वो महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अंतरालासी प्राचारण एवं प्रशासनिक तथा नियोजित प्राचारण अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अच्छ नियमित डायरेक्टरी पालना करेगा ।
  3. यसके सहित संस्था को विभाग व भविध में इसलिए हेतु कोई वित्तीय सुहायता नहीं देगी ।
  4. संस्था को समय-2 पर यूजीसी/साध्य सरकार/अपुज्ञालय कोलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना आनिवार्य रूप से करनी होगी ।
  5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था लियम 1989 तथा तत्समन्वयी लियम 1993 के सभी उपलब्धी की नियंत्रण अनुप्राप्ति को जाना ।
  6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपशासन वाली कोई वीउल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को ब्रैक्याहरित (Withdrawn) किया जा सकता है ।

संस्कृत और प्रार्थना सब में कम से कम एक बोर औयुक्तालय वा अविदेशी वासी वर्षान्ते हैं आवेदन करता

कर्मचारी विवरण कागजात NAAC से प्राप्त करना अनिवार्य

प्रतिक्रिया विद्युत यांकने की अवधि २-३ सप्ताह। इसका लक्षण विद्युत विद्युत यांकने की अवधि १

卷之三

www.17k.com/novel/1040743/1040743.html

11. सभी गोपनीयतावाले का website तथा आवश्यकतावाले का 15 दिन का website address की सूचना दें।

प्राचीन भौगोलिक ज्ञान में भवालय, सारत सरकार के उद्योगों (Industrial units) का अधिकारी था।

DATA CAPTURE FORM (Data Capture format) भरकर अपने फ़ोन पर लगाएं।

प्राचीन वालय इसलो Hard copy आगमी 15 दिसंबर में आयोजित गणपति कुर्मा जल संस्करण द्वारा

पर मानव समाधन विकास मंत्रालय पर विवेत्ता बोर्ड के Know Your College पर महाविद्यालय

- कांचापाला जापानी जल पर धोते सो उपलब्ध हो सकेगी।

५. एक समिति, प्रदित दीनचर्चालय उपाध्याय शास्त्रज्ञानी हिंडुवर्षालय, सीकर।  
 सधिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।

६. सांखिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज रिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

७. रक्षित पत्रावली

廣東省博物館

WILLIAM F. WASHBURN

प्राचीन विद्या सीकरण  
Prachin Vidyā Seikaran

१२४ प्रिंस इंटरप्रेटर्स एकाडमी संस्था  
Prince Interpreters Academy Sanstha  
Paiwus Road, SIKAR

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (569)आकाशि / नि.सं. / 2012 / 42.४

दिनांक: ०९/०५/१८

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन विषय
प्रिस इंटरनेशनल एकेडमी संस्था, पालवास रोड, सीकर।	प्रिस कॉलेज, ग्राम-पालवास, वाया-टाटनवा, तह. धौंद, सीकर।	पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.ए.- अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। एम.एस.सी-भौतिकशास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा साधित जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर  
११८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, अति० मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सीकर। — ३३२००१
- कुल संचिव, पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- संचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

*Fee*  
*Secretary*  
Prince International Academy, Rasta  
Palwas Road, SIKAR

११८

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर